न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 712 सन 2020

अनवान :–

1. भैरूराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जयचन्द पुत्र नरसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नरसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. फुसाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. भगवानाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. मनफुल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. रूपराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. हरसिह (फौत)
   8/1. दलीपसिह 8/2 जगदीश प्रसाद 8/3 सुरेन्द्र कुमार 8/4 हरीसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
   8/5 शान्ति पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
   8/6 गुडी पुत्री हरिसिह पत्नी काशीराम जाति न्यौल निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   8/7 शकुन्तला पुत्री हरिसिह पत्नी रामजीलाल जाति न्यौल जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   8/8 सावित्री पुत्री हरिसिह पत्नी नरेन्द्र वीपीओ खतुरिया कॉलोनी बीकानेर
9. कुलदीप पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
11. रमेश कृष्ण पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. हसंराज पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
    असल प्रतिवादी
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
14. रामप्यारी पत्नी झीडुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. बिमला पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
16. सुमित्रा पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
17. पुष्पा पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
18. भूपेन्द्रसिह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
19. राजेन्द्रसिह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
20. विनोद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
21. गिरदावरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रमेश जाति जाट निवासी केरावाली ।
22. महेन्द्र पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
23. रमेश पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
24. विजय कुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
25. शिशपाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
26. शान्ति पत्नी मामचन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
27. राजोदेवी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
28. इन्द्रादेवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
29. मंजु पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
30. मैनादेवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
31. शारदा पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज 06/09/2021

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांक :– 06/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 348/438(77) किला न0 1 ,2 ,9 व प0न0 347/438(78) किला न0 2 ता 9 ,11 से17 कुल 5.313हैक बारानी भूमि जिसमें नन्दराम 1/2 हिस्सा व आसकरण का 1/2 हिस्सा , जिसकी मृत्यू उपरान्त उसके लडके गोपालराम , लालचन्द, मनफुल, हरिसिह , रूपराम, पूर्णराम व मामाचन्द के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई

जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 बनाते समय सहवन से लालचन्द का नाम दर्ज नही किया गया शेष जमाबन्दी यथावत बना दी अर्थात गोपालराम , मनफुल, हरिसिह , रूपराम, पूर्णराम व मामाचन्द के नाम से बहिब दर्ज कर दी गई।

लालचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 27 ता 31 है इसीप्रकार नंदराम के वारिसान में से गोपाल को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है, मनुफल स्वय मौजुद है , हरिसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/8 है, रूपराम स्वय मौजुद है पूर्णराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है।

तरतीबी प्रतिवादीगण का विवरण आसकरण के देहानत होने के बाद आसकरण के पुत्र झिण्डुराम को देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 ता 19 है, रामचन्द्र का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 20 ,21 है मामचन्द के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 ता 26 है।

इसप्रकार उपरोक्त विवरण एवं वाद में दर्ज सजरा खानदान के अनुसार नन्दराम के पुत्रों में से मृतक पुत्रों के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात लालचन्द के हक हिस्सा की भूमि जो जमाबन्दी में सहवन से दर्ज नही हुई को लालचन्द के वारिसान अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,7, 8/2 से 8/8 ,11 को रजिस्टर सम्म्न से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 4, 6, 8/1 ,9 ,10 ,12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी के पिता लालचन्द का उनके पूर्वज के साथ बराबर का हिस्सा जमाबन्दी से दर्ज था किन्तु आगामी जमाबन्दी बनाते समय वादी के पिता लालचन्द का नाम सहवन से दर्ज नही हुआ है वर्तमान में लालचन्द का देहान्त हो चुका है उसके वारिसान लालचन्द के हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है लालचन्द के हिस्से की भूमि उनके वारिसान के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिलस है प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 348/438(77) किला न0 1 ,2 ,9 व प0न0 347/438(78) किला न0 2 ता 9 ,11 से17 कुल 5.313हैक्‍ बारानी भूमि जिसमें नन्दराम 1/2 हिस्सा व आसकरण का 1/2 हिस्सा , जिसकी मृत्यू उपरान्त उसके लडके गोपालराम , लालचन्द, मनफुल, हरिसिह , रूपराम, पूर्णराम व मामाचन्द के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई

जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 बनाते समय सहवन से लालचन्द का नाम दर्ज नही किया गया शेष जमाबन्दी यथावत बना दी अर्थात गोपालराम , मनफुल, हरिसिह , रूपराम, पूर्णराम व मामाचन्द के नाम से बहिब दर्ज कर दी गई।

सजरा खानदान के अनुसार नन्दराम के पुत्रों में से मृतक पुत्रों के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात लालचन्द के हक हिस्सा की भूमि जो जमाबन्दी में सहवन से दर्ज नही हुई को लालचन्द के वारिसान अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। जिसे प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ,8/1 ,9 ,10 ,11 ने स्वीकार किया जाकर चुका है अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के परिवार के एक सदस्य ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है शेष तरतीबी प्रतिवादी है जिनके विरूद्व किसी प्रकार का रिलीफ नही है सुयक्त खाते में दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 348/438(77) किला न0 1 ,2 ,9 व प0न0 347/438(78) किला न0 2 ता 9 ,11 से17 कुल 5.313हैक्‍ बारानी भूमि जिसमें नन्दराम 1/2 हिस्सा व आसकरण का 1/2 हिस्सा ,दर्ज था जिसकी मृत्यू उपरान्त उसके लडके गोपालराम , लालचन्द, मनफुल, हरिसिह , रूपराम, पूर्णराम व मामाचन्द के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 से पूर्णत्या साबित है।

वादी का कथन है जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2069 बनाते समय उसके पिता लालचन्द का नाम दर्ज नही किया गया वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2069 में वादी के पिता लालचन्द का नाम दर्ज नही है अर्थात वादी का कथन साबित है।

वादी के पिता लालचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 27 ता 31 है जो लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि वाद अपने पिता लालचन्द के हक हिस्सा की भूमि जो जमाबन्दी में सहवन से दर्ज नही हुई है को लालचन्द के वारिसान के नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ,8/1 ,9 ,10 ,12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात लालचन्द के भाईयों के वारिसान में से एक सदस्य ने वादी के कथनों को स्वीकार किया गया है शेष उपस्थित नही आये है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी के पिता का नाम जमाबन्दी बनतो समय सहवन से छुटा हे जिसे लालचन्द के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान लालचन्द के हक हिस्सा की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 348/438(77) किला न0 1 ,2 ,9 से 12 व प0न0 347/438(78) किला न0 2 ता 9 ,11 से17 कुल 5.313हैक बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 ता 31 मृतक लालचन्द के वारिसान बहिब 1/6 हिस्सा यानि 0.44275हैक, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 0.1106875हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक का 0.1106875हैक एवं प्रतिवादी संख्या 6 0.44275हैक , प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.44275हैक प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/8बहिब 0.44275हैक प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 बहिब 0.44275हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष सहखातेदारों की भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भैरूराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 जयचन्द पुत्र नरसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नरसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. फुसाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. भगवानाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. मनफुल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. रूपराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. हरसिह (फौत)
   8/1. दलीपसिह 8/2 जगदीश प्रसाद 8/3 सुरेन्द्र कुमार 8/4 हरीसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
   8/5 शान्ति पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
   8/6 गुडी पुत्री हरिसिह पत्नी काशीराम जाति न्यौल निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   8/7 शकुन्तला पुत्री हरिसिह पत्नी रामजीलाल जाति न्यौल जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   8/8 सावित्री पुत्री हरिसिह पत्नी नरेन्द्र वीपीओ खतुरिया कॉलोनी बीकानेर
9. कुलदीप पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
11. रमेश कृष्ण पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
12. हसंराज पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
    असल प्रतिवादी
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
14. रामप्यारी पत्नी झीडुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
15. बिमला पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
16. सुमित्रा पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
17. पुष्पा पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
18. भूपेन्द्रसिह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
19. राजेन्द्रसिह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
20. विनोद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
21. गिरदावरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रमेश जाति जाट निवासी केरावाली ।
22. महेन्द्र पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
23. रमेश पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
24. विजय कुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
25. शिशपाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
26. शान्ति पत्नी मामचन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
27. राजोदेवी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
28. इन्द्रादेवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
29. मंजु पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
30. मैनादेवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
31. शारदा पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 712 सन 2020 निर्णय दिनांक– 06/09/2021

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी के प0न0 348/438(77) किला न0 1 ,2 ,9 से 12 व प0न0 347/438(78) किला न0 2 ता 9 ,11 से17 कुल 5.313हैक बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 27 ता 31 मृतक लालचन्द के वारिसान बहिब 1/6 हिस्सा यानि 0.44275हैक, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 0.1106875हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक का 0.1106875हैक एवं प्रतिवादी संख्या 6 0.44275हैक , प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.44275हैक प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/8बहिब 0.44275हैक प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 बहिब 0.44275हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष सहखातेदारों की भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते